राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2021/70/2021 दिनांकः 07.07.2021

तहसीलदार

माण्डलगढ़

विषयः पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

उनवान

1. भूला देवी पत्नि रामस्वरूप जाति तेली निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. रेशमा देवी पत्नि भंवरलाल जाति दरोगा निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़।

बनाम

1. मांगी पत्नि उंकार जाति बलाई निवासी रामचन्द्र जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. शंकर पिता बालू जाति रेगर निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. खेमा पिता चूना जाति रेगर निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. भूरा पिता चूना जाति रेगर निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. रामलाल पिता नन्दा जाति रेगर निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आनुवानिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम दोल जी का खेड़ा पटवार हल्का मोहनपुरा की सरहद में स्थित खाता संख्या 2 की आराजी संख्या 416/349 कुल किता 1 रकबा 0.4047 बीघा भूमि की बशामलात् पडौसियान के मौके पर रिकार्ड एवं कब्जेनुसार पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। **कमिश्नर फीस 500/– रूपये** तय की जाती है, जो वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/– रूपये राजकोष में जमा हो चुके है। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जे नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner